

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

**पीठासीन अधिकारी:- प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 71/2025 (GCMS 2025/71)	दायर दिनांक 14.07.2025	निर्णय दिनांक 13.08.2025
--	---------------------------	-----------------------------

**उनवान**

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी**

**बनाम**

खुशाल सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह राजपुरोहित, मैसर्स नमो जोधाणा स्वीट्स, सांवरिया जी हॉस्पिटल के सामने, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़

**अप्रार्थी**

**--: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::-**

**--: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार शर्मा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.03.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे। इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28.06.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान के आदेश क्रमांक खा.सु. एवं औ.नि.



/संस्था/2025/101 दिनांक 15.01.2025 अनुसार कार्यक्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.03.2025 को समय 12.00 पी. एम. पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु मैसर्स नमो जोधाणा स्वीट्स, सांवरिया जी हॉस्पिटल के सामने, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां खुशाल सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह राजपुरोहित उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ खोहा एवं अन्य मिठाईयां आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता को खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो उनके द्वारा मौके पर दिखाया गया। मौके पर गवाहान की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म पर एक फ्रिज में खोआ (Loose) विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर V A की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खोआ (Loose) 1 किलोग्राम जांच हेतु एक साफ-सुथरी एवं सुखी स्टील की तपेली में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपये 300/- नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए जो मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 4 लेबल तैयार किए जिन पर नमूना कोड व क्रमांक, दिनांक, स्थान, स्वयं गवाह तथा विक्रेता के हस्ताक्षर अंकित करवाये। खरीदशुदा खोआ (Loose) को गवाह तथा विक्रेता को दिखाकर 4 साफ-सुथरी एवं सुखे खाली प्लास्टिक के जारों में प्रत्येक में 250-250 ग्राम खोआ (Loose) लिया तथा प्रत्येक जार में 20-20 बूंदे फॉर्मलीन की डालकर प्रत्येक जार को एयर टाइट ढक्कन से बन्द किया तथा प्रत्येक नमूना जार पर उपरोक्त लेबल गोन्द से चिपकाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर कागज के दोनों सिरों को मोड़कर गोन्द से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर



स्लिप संख्या ए एम-2178 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर से लेकर नीचे पेंदे तक गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 सील चपडी लगाई। एक सील नमूना भाग के सीरे पर, एक पेंदे पर एवं दाई व बाई ओर लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप से रेपर पेपर तक तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एकीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता/मालिक व गवाहान ने भी पढ़कर, सुनकर व समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में नमूना वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर में जमा करवाने हेतु भिजवाया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ नमूना तथा फॉर्म नं. 6, प्रयोगशाला में जमा कराई जाने की रसीद की असल प्रति संलग्न है। शेष तीन नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की तीन प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 23.04.2025 द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2025



से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खोआ (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (नमूना लेना, इस्तगासा आदि प्रस्तुतकर्ता) गवाह संख्या 2 घनश्याम लाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) गवाह संख्या 3 अनिल कुमार, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा हेतु वाहक) गवाह संख्या 4 डॉ. ताराचन्द गुप्ता, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु अधिकृत करने तथा पेपर स्लिप आदि जारी करने बाबत) गवाह संख्या 5 डॉ. रवि सेठी, खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर (नमूना जांच रिपोर्ट जारीकर्ता) गवाह पेश किये तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खोआ (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना



करने की कृपा करें ताकि जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

अप्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरी फर्म से खोआ का नमूना लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। हालांकि हमारे द्वारा खोआ में पूर्णतया शुद्धता रखी जाती है। भविष्य में मेरे द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी सो मेरे विरुद्ध नरम रुख अपनाते हुए कम जुर्माना लगाने की कृपा करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 2 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 एवं 4 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ खोआ (Loose) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 05.03.2025 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ खोआ (Loose) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-2178 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 17 से सील चपड़ी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 एवं 7 खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना प्राप्त होने की रसीद एवं फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक अनिल कुमार के साथ



आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-2178 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 6 एवं 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 6 व 7 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक अनिल कुमार द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 06.03.2025 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 9 एवं 10 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 1887 दिनांक 23.04.2025 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 100/ACT 2025/100 Dated 19-03-2025 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 100/ACT 2025/100 Dated 19-03-2025 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार शर्मा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 17 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 10.03.2025 से 19.03.2025 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Khoya (Loose) bearing code no. and serial no. AM-2178 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh is sub-standard food. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the food safety & Standards Act 2006.**

उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-2178 खोआ (Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड (अवमानक) स्तर का पाया गया है। उसमें निर्धारित मानक से दूध फेट की मात्रा कम पाई गई है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त



रिपोर्ट पत्रांक 1887 दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2025/3259 दिनांक 25.06.2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 13 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता है जिससे अप्रार्थी श्री खुशाल सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह राजपुरोहित



मैसर्स नमो जोधाणा स्वीट्स, सांवरिया जी हॉस्पिटल के सामने, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (iii) तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त अप्रार्थी श्री खुशाल सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह राजपुरोहित मैसर्स नमो जोधाणा स्वीट्स, सांवरिया जी हॉस्पिटल के सामने, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़ को राशि रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(प्रभा गौतम)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला चित्तौड़गढ़